क्रम-संख्या–211 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 जून, 2026
ज्येष्ठ 28, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2

संख्या 333 / 23-दो–2026-08(सा0)-26
लखनऊ, 18 जून, 2026

अधिसूचना

प0आ0–426

चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि जिला अमेठी में गोमती नदी के किशनी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित अपनी सीमाओं के भीतर जिला अमेठी में किशनी घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करते हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से जिला अमेठी में किशनी घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, सुलतानपुर–अमेठी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर के परगना के नाम	नदी के दोनों ओर के ग्राम के नाम	नदी का नाम, जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
अमेठी	जगदीशपुर, सैदपुर	किशनी, बरवारी	गोमती नदी	किशनी घाट

नौघाट की श्रेणी	नौघाट की सीमा				
	किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10	11
''ग''	बांया दाया	पाली घाट	8.000 किमी0	नांदी घाट	7.000 किमी0

आज्ञा से,
दिव्य प्रकाश गिरी,
सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 333/XXIII-II–2026-08(Sa.)-26**,** dated June 18, 2026 for general information :

No. . 333/XXIII-II–2026-08(Sa.)-26

Dated Lucknow, June 18, 2026

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Gomti River at Kishni Ghat in district Amethi;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of Section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, a new public ferry on the Kishni Ghat in district Amethi within its limits as shown in the Schedule below.

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Kishni Ghat in district Amethi shall vest in the Superintending Engineer, Sultanpur-Amethi Circle, Lok Nirman Vibhag, Sultanpur.

SCHEDULE

Name of district	Name of the Pargana on both sides of the river	Name of village on both banks of the river	Name of the River on which ferry is to be established	Name of the Ferry	Class of Ferry
1	2	3	4	5	6
Amethi	Jagdishpur, Saidpur	Kishni, Bharwari	Gomti River	Kishni Ghat	"C"

Limit of Ferry				
Bank edge	Upstream	Distance	Downstream	Distance
7	8	9	10	11
Left Right	Pali Ghat	8.000 Km.	Nandi Ghat	7.000 Km.

By order,
DIVYA PRAKASH GIRI,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 412 राजपत्र–2026–(886)–599+50+5+5=659 प्रतियाँ (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।